By Speed Post

F. No. A-12018/06/2014-NTH Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Consumer Affairs

Gallery No.12/2, Jamnagar House. Shahjahan Road, New Delhi - 110 011 Dated, the o 3 March, 2017

To

The Director General National Test House, Sector-V, C.P. Block, Salt Lake, Kolkata-700091.

Subject:- Seventh Central Pay Commission's recommendations - Amendment of Recruitment Rules for the post of Scientific Assistant in National Test House.

Sir,

I am directed to refer to Department of Personnel & Training O.M. No.AB-14017/13/2016-Estt. (RR) dated 9th August, 2016, on the above mentioned subject and to forward herewith a copy of the Revised Recruitment Rules -2017 for the post of Scientific Assistant of various disciplines in National Test House duly notified in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub Section(i) vide GSR No.31 dated 02.02.2017 for record and official use. These Recruitment Rules are also available on the website of egazette.nic.in under the name of this Ministry.

Encls: As above

.K.Sonker) Deputy Director (NTH) Tel No.23073612 E-mail: d.sonker@nic.in

Yours faithfully,

Copy to:

- 1. Director/ scientist-In charge, All regional Branches, National Test House,
- 2. Department of Personnel and Training, Estt.(RR)Division, North Block, New Delhi
- 3. Secretary, Union Public service Commission [Kind attention: Shri B.S. Heet, Under Secretary (RR).]
- 4. L-1, Legislative Department, Shastri Bhavan, New Delhi. (OL) & (English).
- 5. The Parliament Library, Parliament Annexe, Parliament Street, New Delhi(Two copies)
- 6. Guard file.

5/0



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

ਸਂ. 04] No. 04] नई दिल्ली, जनवरी 29-फरवरी 4, 2017, शनिवार/माघ 9-माघ 15, 1938

NEW DELHI, JANUARY 29—FEBRUARY 4, 2017, SATURDAY/MAGHA 9—MAGHA 15, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2017

सा.का.िन. 20.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उनका संबंध स्टोर कीपर के से है अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, के बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में स्टोर कीपर के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, स्टोर कीपर श्रेणी (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

367 GI/2017

(B) possessing any one of the following qualifications:

Essential:

- (i) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous Bodies or Statutory Organisation; or
- (ii) Degree in any subject from a recognised university with three years experience in Cash, Accounts and Budget work with completed training in Cash and Accounts Work from Institute of Secretariat Training and Management or any other training Institute recognised by Government of India.

Desirable: -

- (a) Pass in the Subordinate Accounts Service examination conducted by any one of the Organised Accounts Departments of Government of India; or
- (b) Bachelor's degree in Commerce or Management or Business Studies.
- Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of application.
- Note 3: For the purpose of appointment on deputation (including short term contract) basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level and the pay matrix extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scales of pay into one grade with a common level and the pay matrix and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level and the pay matrix is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/02/2015-NTH]

D. K. SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन राष्ट्रीय परीक्षण शाला कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक के पद की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात्:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में वैज्ञानिक सहायक भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-	चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			मैट्रिक्स में	अथवा चयन	
			स्तर	पद	· ·
(1)	(2)	(3)	.(4)	(5)	(6)
1. वैज्ञानिक	17* (2017)	साधारण केंद्रीय	वेतन-मैट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक
सहायक	(*कार्यभार के आधार	सेवा समूह 'ख'	में स्तर -7	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी
(इलैक्ट्रिकल)	पर परिवर्तन किया जा			- " . "	किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
1000	सकता है।)	अननुसचिवीय			सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल
					की जा सकती है।)
4 4 7		S = 1 1 2 2			टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के
					लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों
		1.			से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की
	1.70		N* -		गई अंतिम् तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
	2 14				तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
					त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के
					लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और
					स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी
					उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की
4.7					गई है।)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक	क्या सीधी भर्ती के लिए	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति –भर्ती सीधे होगी या
और अन्य अर्हताएं	विहित आयु और शैक्षिक	अवधि यदि	प्रोन्नति द्वारा या
	अर्हताएं पदोन्नति के	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा
	मामले में लागू होंगी		विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने
			वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती द्वारा।
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्व-		लिए 2 वर्ष	टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या
विद्यालय से भौतिकी में			लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या
मास्टर डिग्री; या			किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष
(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के		4, 7	या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर
			रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय
अनुभव सहित किसी मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा	* v		सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों
संस्थान से इलैक्ट्रिकल	_	,	में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी
इंजीनियरी या इलैक्ट्रिकल एवं		_	जा सकेंगी।
इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या		×	(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य
इलैक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार			पद धारण किए हो; अथवा
इंजीनियरी में इंजीनियरी			(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत
बेचलर्स या प्रौद्योगिकी	*		आने वाले पद पर पांच वर्ष की
बेचलर।		7	नियमित सेवा की हो; और
वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-			(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी
सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के			भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक
उपक्रम की किसी प्रयोगशाला में		-	योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते
उन्नयन इलैक्ट्रिकल या इलैक्ट्रॉनिक्स			हों।
मापन का दो वर्ष का अनुभव			टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे
टिप्पण 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए			विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की
अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी			सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
चयन आयोग के विवेकाधिकार पर			नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के
अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा			पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त
सकती है।		,	व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए
			विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
टिप्पण 2: यदि चयन के किसी स्तर		. 3	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि,
पर कर्मचारी चयन आयोग का यह		-	जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के
मत हो कि अनुसूचित जाति और		1	उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में
अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने			इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित
वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास		7	किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए			प्रतिनियुक्ति की अवधि है
आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव			साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं
नहीं है तो इन समुदायों से संबंध			होगी।
रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले मे			टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति
कर्मचारी चयन आयोग वे		-	(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा
विवेकाधिकार पर अनुभव से			भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा
संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी			आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख
जा सकती है।		X	को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन अथवा स्थानांतरण किया जाएगा (11) लागू नहीं होता

क्या विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है यदि हां तो, इसके संघटक क्या हैं।	परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श किया
(12)	जाएगा। (13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष	आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (इलैक्ट्रिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला- सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वैज्ञानिक सहायक (गैर- विध्वंसक)	(2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	वेतन- मैट्रिक्स में स्तर-7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनिधक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी
भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से इलैक्ट्रिकल		के लिए 2 वर्ष	बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से
इंजीनियरी या मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक। वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या			प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी। (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले पद
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी गैर- विध्वंसक परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के	1		पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों। टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,

विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर जा सकती है। नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति चयन आयोग का यह मत हो कि अनुस्चित जाति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले टिप्पण 3: प्रतिनियक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु संबंध में छूट दी जा सकती है। सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11) लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष	आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (गैर-विध्वंसक), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. वैज्ञानिक सहायक (मैकेनिकल)	12* (2017) (* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख'	वेतन- मैट्रिक्स में स्तर -7	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनिधिक (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्यात की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी	सीधी भर्ती द्वारा ।
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से	होता	भर्ती	टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी
भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा	p	के	बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य
(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव		लिए	परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि
सहित किसी मान्यता-प्राप्त		2	के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय
विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से		वर्ष	सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से
मैकेनिकल इंजीनियरी या धातु विज्ञान	-		प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।
में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी			(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण
स्रातक।			किए हो; अथवा
वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या			(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन आने वाले
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी मैकेनिकल			पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का			(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए
अनुभव।	- 1		निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव
टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों			रखते हों।
के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के			टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,
विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की			जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर
जा सकती है। टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर			नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि			होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से	t .		नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं
संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास			होंगे।
अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत
रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य
से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में			संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर
कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर			प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से
अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छूट दी			अधिक नहीं होगी।
जा सकती है।		38.	टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके
			अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए
			अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की
			अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)	
 लागू नहीं होता	

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -अध्यक्ष	आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (मैकनिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. वैज्ञानिक	15* (2017)	साधारण केंद्रीय	वेतन-मैट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक
सहायक	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ख'	में स्तर -7	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर
(भौतिकी-	आधार पर	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Α	*	जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के
सिविल)	परिवर्तन किया	अननुसचिवीय	-	v se	अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5
	जा सकता है।)				वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
				. ·	टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख भारत में
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
	W 1		* ×		लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो
	:-			-	असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		v A	1	-	सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के
		× .			लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा
					जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के
					अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH				1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती द्वारा।
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से	होता	लिए 2 वर्ष	टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या
भौतिकी में मास्टर डिग्री; अथवा			लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं
(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव			अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे
सहित किसी मान्यता-प्राप्त			अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के
विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से		-	कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के
कैमिकल इंजीनियरी अथवा कैमिकल			निम्नलिखित अधिकारियों में से
प्रौद्योगिकी अथवा सिविल			प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा
इजीनियरी में इंजीनियरी स्नातक या			्सकेंगी।
प्रौद्योगिकी स्नातक।			(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद
वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या			धारण किए हो; अथवा
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की किसी			(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के अधीन
प्रयोगशाला में सिविल इंजीनियरिंग सामग्री	9		
परीक्षण और मूल्यांकन कार्य करने का दो वर्ष			आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित
का अनुभव।			सेवा की हो; और
टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए	* •	-	(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के
अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग			लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और
के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान			वांछनीय अनुभव रखते हों।
की जा सकती है।			टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय
टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर			अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में
कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि			हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से			विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी
संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास		1	प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा
अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित		- "	नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र
रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन		, a	नहीं होंगे।

समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके
मामले में कर्मचारी चयन आयोग के			अंतर्गत सरकार के उसी या किसी अन्य
विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं	_		संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
के संबंध में छूट दी जा सकती है।			पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद
			पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है
		× '	साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति
*			(जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी
			है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
* * *			प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष
			से अधिक नहीं होगी।

(11) लागू नहीं होता

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्यक्ष	आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (भौतिक-सिविल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5.	09* (2017)	साधारण केंद्रीय	वेतन-मैट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक
वैज्ञानिक	(*कार्यभार के	सेवा समूह 'ब'	में स्तर -7	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी
सहायक	आधार पर	(अराजपत्रित)	^		किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार
(भौतिक,	परिवर्तन किया				सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल
रबड़,	जा सकता है।)	3	-		की जा सकती है।)
प्लास्टिक	,				टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए
एवं वस्त्र)					निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से
		**			आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई
	-			1	अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम
				î	तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल
-		- 1			प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
		1 4	- xx -		सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड,
-	5x *				हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान
	,				और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों
					के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी	सीधी भर्ती द्वारा ।
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी अथवा रसायन में मास्टर डिग्री; अथवा (ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित	होता	भर्ती के लिए 2	टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय

वर्ष

किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से कैमिकल इंजीनियरी अथवा वस्त्र प्रौद्योगिकी अथवा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा प्लास्टिक इंजीनियरी अथवा पॉलिमर तथा रबड़ प्रौद्योगिकी अथवा कैमिकल प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक।

वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की वस्त्र अथवा रबड़ अथवा प्लास्टिक अथवा कागज अथवा चमड़ा और उनसे निर्मित उत्पादों का परीक्षण करने वाली किसी प्रयोगशाला में कार्य करने का दो वर्ष का अनभव।

टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा सकती है।

टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के संबंध में छुट दी जा सकती है। सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।

- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो; अथवा
- (ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
- (ख) कॉलम 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभव रखते हों।

टिप्पण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11) लागू नहीं होता

(12)		(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:		संघ लोक सेवा आयोग के साथ
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला	: अध्यक्ष	परामर्श आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (भौतिक, रबड़, प्लास्टिक और वस्त्र), राष्ट्रीय परीक्षण शाला	: सदस्य	,
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला	: सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. वैज्ञानिक	41* (2017)	साधारण केंद्रीय	वेतन-मैट्रिक्स	लागू नहीं	30 वर्ष से अनधिक
सहायक (रसायन)	(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) अननुसचिवीय	में स्तर -7	होता	(केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा

			सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

			विहित की गई है।)
	N	3	
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी	सीधी भर्ती द्वारा ।
(i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से	होता	भर्ती	टिप्पण 1: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लर्म्ब
रसायन-शास्त्र अथवा माइक्रोबॉयोलॉजी		के	बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्
में मास्टर डिग्री; अथवा		लिए	परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि व
(ii) सुसंगत क्षेत्र में एक वर्ष के अनुभव सहित	x -	2	लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्री
किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय		वर्ष	सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में
अथवा संस्थान से कैमिकल प्रौद्योगिकी			प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी।
अथवा कैमिकल इंजीनियरी में		,	(-) (-) (-)
इंजीनियरी स्नातक या प्रौद्योगिकी		-	(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण कि
स्नातक।			हो; अथवा
वांछनीय: सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी या			(ii) वेतन-मैट्रिक्स के स्तर-6 के तहत आने वाले प
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की विश्लेषणकर्ता			पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
अथवा रसायन परीक्षण प्रयोगशाला में कार्य करने			(ख) स्तम्भ 7 में उल्लिखित सीधी भर्ती के लि
का दो वर्ष का अनुभव।			निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं और वांछनीय अनुभ
टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों			रखते हों।
के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के			रिष्यण 2: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी
विवेकाधिकार पर अहर्ता(ओं) में छूट प्रदान की जा	A		I Section 1997
सकती है।	- /		जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति प
टिप्पणी 2: यदि चयन के किसी स्तर पर कर्मचारी	-		नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं हो
चयन आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति	1		इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुर्ग
और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले	1		के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्ग
पर्याप्त अभ्यर्थियों के पास अपेक्षित अनुभव है और			केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अ
उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरना संभव			
नहीं है तो इन समुदायों से संबंध रखने वाले			संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारि
अभ्यर्थियों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग के			किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति । अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी
विवेकाधिकार पर अनुभव से संबंधित अहर्ताओं के	1		विष्पण 4: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर
संबंध में छूट दी जा सकती है।			अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम अ
त्राचय न सूट या जा तनता हा	^		सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को !
			वर्ष से अधिक नहीं होगी।
			पप त जावभ गहा हागा।

(11)	
	1
લાગુ નફા ફાતા	

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति:	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श
1. निदेशक ग्रेड- 2 अथवा वैज्ञानिक डी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला-अध्य	क्ष आवश्यक नहीं है।
2. वैज्ञानिक सी (कैमिकल), राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस	य
3. प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय परीक्षण शाला -सदस	य

[फा. सं. ए-12018/06/2014-एनटीएच]

डी.के. सोनकर, उपनिदेशक (एनटीएच)

New Delhi, the 2nd February, 2017

- G.S.R. 31.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, regulating the method of recruitment to the post of Scientific Assistants in National Test House, Kolkata and its regional offices, Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Test House, Kolkata and its Regional Offices, Scientific Assistants Recruitment Rules, 2017.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc. .—The method of recruitment, age-limit, educational qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.
- 4. Disqualifications.—No person,-
 - (c) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (d) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.Scientific Assistant (Electrical)	17* (2017) (*Subject to variation depending	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued

*	on work	Ministerial.		, a (a)	by the Central Government).
	load).		9-		Note: The crucial date for
2					determining the age limit shall
*					be the closing date for receipt
					of applications from
-				Y .	candidates in India (except the
				Y	closing date prescribed for
	-			•	those in Assam, Meghalaya,
					Arunachal Pradesh, Mizoram,
					Manipur, Nagaland, Tripura,
*					Sikkim, Ladakh Division of
		8.			Jammu and Kashmir State,
					Lahaul and Spiti District and
	-				Pangi Sub Division of
					Chamba District of Himachal
			, ,		Pradesh, Andaman and
7					Nicobar Islands or
					Lakshadweep).

Educational and other qualifications required	Whether age	Period of	Method of recruitment : whether
for direct recruits.	and	probation, if	by direct recruitment or by
	educational	any.	promotion or by deputation/
	qualifications		absorption and percentage of the
	prescribed for		vacancies to be filled by various
	direct recruits	* *	methods.
	will apply in		lk .
	the case of		
	promotees.	¥.	
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not	Two years	By direct recruitment.
(i) Master's Degree in Physics from a	applicable.	for direct	Note 1: Vacancies caused by
recognised University; or		recruits.	the incumbents being away on
		-	transfer on deputation or long
(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor	-		illness or study leave or under
of Technology in Electrical	_		other circumstances for a
Engineering or Electrical and			duration of one year or more
Electronic Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering	n		may be filled by appointing
from a recognised University or			authority on deputation basis
Institution with one year experience in			from officers of Central
the relevant field.			Government:
D : II T			(a) (i) holding analogous posts
Desirable: Two year's experience of advanced Electrical or Electronics			on regular basis; or
advanced Electrical or Electronics Measurements in a laboratory of the			(ii) with five years' regular
Government or Semi Government or of the			service in the posts in Level 6
Public Sector Undertakings.			in the pay matrix; and
Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the			(b) possessing the educational
discretion of the Staff Selection Commission in			qualification and desirable
the case of candidates otherwise well qualified.			experience prescribed for Direc
Note 2 : The qualifications regarding		1 ,	Recruits under column (7).
experience are relaxable at the discretion of the			Note 2 : The departmental
Staff Selection Commission in the case of			officers in the feeder category
candidates belonging to the Scheduled castes			who are in the direct line o
and the Scheduled Tribes, if at any stage of		-	promotion, shall not be eligible
selection, the Staff Selection Commission is of			for consideration for
the opinion that sufficient number of the			appointment on deputation
candidates from these communities possessing			Similarly, deputationist shall no

requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for	2	be eligible for consideration for appointment by promotion.
them.		Note 3: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
		Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

]	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made.
	(11)
	Not applicable.

If a Departmental Promotion committee exists, what i	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
(12)		(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee:		Consultation with Union Public
1. Director Grade II or Scientist D, National Test House	-Chairman	Service Commission not necessary.
2. Scientist C (Electrical), National Test House	-Member	
3. Administrative Officer, National Test House	-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientific Assistant (Non– Destructive).	05* (2017) (*Subject to variation depending on work load).	General central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(0)	(0)	(10)
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics from a recognised University; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electrical Engineering or Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable: Two year's experience in Non – Destructive testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.	Not applicable	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and (b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).
Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

	(11)	
Not	applicable	
(12)		(13)
Group' B' Departmental Confirmation Committee: 1. Director Grade II or Scientist D, National Test House	-Chairman	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
2. Scientist C (Non – Destructive), National Test House	-Member	¥
3. Administrative Officer, National Test House	-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Scientific Assistant (Mechanical).	12* (2017) (*Subject to	General Central Service Group 'B', Non-	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

variation	Gazetted,		Note: The crucial date for determining the age
depending	Non-		limit shall be the closing date for receipt of
on work	Ministerial.		applications from candidates in India (except the
load.)			closing date prescribed for those in Assam
		20	Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram
			Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladak
			Division of Jammu and Kashmir State, Lahar
	1		and Spiti District and Pangi Sub Division of
			Chamba District of Himachal Pradesh, Andama
			and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) Master's Degree in Physics from a recognised University; or	Not applicable.	Two years for direct	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer
 (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Mechanical Engineering or Metallurgy from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. 		recruits.	on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government:
Desirable: Two year's experience in Mechanical testing laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.	,		(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
Note 1 : Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.			(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any		40	(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).
stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the	*		Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration fo
vacancies reserved for them.			appointment on deputation Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration fo appointment by promotion.
			Note 3: The Period of deputation including period of deputation is another ex-cadre post helium immediately preceding this appointment in the same or som other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
			Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)
Not applicable.

	(12)	(13)	
Grou	p 'B' Departmental Confirmation Committee:		Consultation with
1.	Director Grade II or Scientist D, National Test House	-Chairman	Union Public Service
2.	Scientist C (Mechanical), National Test House	-Member	Commission is
3.	Administrative Officer, National Test House	-Member	not necessary.

(7)	(8)	(9)	(10)
(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Chemical Technology or Degree in Civil Engineering from a recognised University or Institution with one year experience in the relevant field. Desirable: Two years' experience in the testing and evaluation of Civil Engineering Material in a laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings.	Not applicabl e.	Two years for direct recruits.	By direct recruitment. Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority or deputation basis from officers of Central Government: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and
Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.			(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).

Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any stage of selection ,the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(11)
Not applicable.

(12)	(13)
Group' B' Departmental Confirmation Committee:	Consultation with Union Public Service
1. Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman	Commission is not necessary.
2. Scientist C (Physical Civil), National Test House- Member	*
3. Administrative Officer, National Test House-Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientific Assistant (Physical, Rubber, Plastic and Textile).	09 * (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not	Two	By direct recruitment.
(i) Master's Degree in Physics or Master's Degree in Chemistry from a recognised University; or	applicable.	years for direct recruits.	Note 1: Vacancies caused by the incumbents being away on transfer on
(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Chemical Engineering or Textile Technology or Rubber Technology or Plastic Engineering or Polymer and Rubber Technology or Chemical Technology from a recognised University or Institution with one year experience			deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled by appointing authority on deputation basis from officers of Central Government:
in the relevant field. Desirable: Two years' experience in the			(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or
laboratory of the Government or Semi Government or of the Public Sector Undertakings engaged in the testing of Textile or Rubber or Plastic or Paper or Leather and their products.	*		(ii) with five years regular service in the posts in Level 6 in the pay matrix; and
Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.		200 200 200 200 200	(b) possessing the educational qualification and desirable experience prescribed for Direct Recruits under column (7).
Note 2: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of the candidates from these communities possessing requisite experience are not likely to be			Note 2: The departmental officers in the feeder category, who are in the direct line of promotion, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
available to fill up the vacancies reserved for them.			Note 3: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of
			the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
			Note 4: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

		(11)	8	
	N	Not applicable.		

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee:	Consultation with
1. Director Grade II or Scientist D, National Test House -Chairr	man Union Public Service Commission is not
2. Scientist C (Physical, Rubber, Plastic and Textile), National Test House-Memb	necessary.
3. Administrative Officer, National Test House -Member	er

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientific Assistant (Chemical).	41* (2017) (*Subject to variation depending on work load.)	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial.	Level 7 in the pay matrix.	N.A.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential:	Not	Two	By direct recruitment.
(i) Master's Degree in Chemistry or	applicable.	years for	Note 1: Vacancies caused by the
Microbiology from a recognised University;		direct	incumbents being away on transfe
or		recruits.	on deputation or long illness of
(ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of			study leave or under other
Technology in Chemical Technology or			circumstances for a duration of or
Chemical Engineering from a recognised			year or more may be filled b
University or Institution with one year			appointing authority on deputation
experience in the relevant field.			basis from officers of Centr
Desirable: Two years experience in an analytical or			Government:
chemical testing laboratory of the Government or			(a) (i) holding analogous posts of
Semi Government or of the Public Sector			regular basis; or
Undertakings.			(ii) with five years regular servi
Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion			in the posts in Level 6 in the p
of the Staff Selection Commission in the case of	_		matrix; and
candidates otherwise well qualified.	, x		(b) possessing the education
Note 2: The qualifications regarding experience are	-	=	qualification and desirat
relaxable at the discretion of the Staff Selection			experience prescribed for Dire
Commission in the case of candidates belonging to the		- ,	Recruits under column (7).
Scheduled castes and the Scheduled Tribes ,if at any			Note 2: The departmental office
stage of selection, the Staff Selection Commission is			in the feeder category, who are
of the opinion that sufficient number of the candidates	2		the direct line of promotion, sh
from these communities possessing requisite			not be eligible for consideration
experience are not likely to be available to fill up the			appointment on deputation
vacancies reserved for them.			Similarly, deputationist shall not
			eligible for consideration
			appointment by promotion.
		1	Note 3: The Period of deputati
			including period of deputation
		A 2	another ex-cadre post he
			immediately preceding t
			appointment in the same or so
A - 1. T. (1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1			other organisation or department
			the Central Government sh
			ordinarily not exceed three years.
			Note 4: The maximum age limit
			appointment by deputation shall
			not exceeding 56 years as on
			closing date of receipt

(11)	
Not applicable.	

	(12)	(13)
Gro	oup' B' Departmental Confirmation Committee:	Consultation with Union Public
1.	Director Grade II or Scientist D, National Test House-Chairman	Service Commission is not necessary.
2.	Scientist C (Chemical), National Test House-Member	
3.	Administrative Officer, National Test House-Member	

[F. No. A.12018/06/2014-NTH]
D.K.SONKER, Dy. Director (NTH)

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2017

सा.का.िन. 32.— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक, भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय परीक्षण शाला में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय परीक्षण शाला, कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन-मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन-मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा और वहां उनके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।